उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या-15/2015/ 606/62-1-15-97जीडब्लू /2010

लखनऊ / दिनांक 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

क्षेत्रीय विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-984/62-7-95-566/88टीसी, दिनांक 09 जून, 1995 में दी गयी व्यवस्थानुसार संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारित किये बगैर कार्यालय-ज्ञाप संख्या—1721/61-1-98-100जीडब्लू/95टीसी-11, दिनांक 26 अगस्त, 1998 द्वारा रू0 3700-5000 का वैयक्तिक वेतनमान श्री भरत सिंह, सीनियर जियोफिजिसिस्ट (सेवानिवृत्त) को दिनांक 05-04-1991 से अनुमन्य कराया गया था। भूगर्भ जल विभाग में सहायक भूभौतिकविद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जो कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-3-2002 द्वारा निर्गत की गयी, में श्री विद्याधर राय के वरिष्ठता क्रमांक-2 तथा श्री भरत सिंह के वरिष्ठता क्रमांक-5 पर अवस्थित होने के कारण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-323/62-1-2015-97जीडब्लू/2010, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार श्री भरत सिंह, सीनियर जियोफिजिसिस्ट (सेवानिवृत्त) को दिनांक 05-04-91 से अनुमन्य कराये गये वैयक्तिक वेतनमान के लाभ को निरस्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में पत्र संख्या- 573/62-1-2015-97जीडब्लू/2010, दिनांक 07-05-2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस देते हुए एक सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। श्री सिंह का उत्तर तथ्यात्मक न होने के फलस्वरूप श्री सिंह को दिनांक 05-04-91 से अनुमन्य कराया गया। उक्त वैयक्तिक वेतनमान का लाभ निरस्त किया जाता है।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1721/61-1-98-100जीडब्लू/95टीसी-11, दिनांक 26 अगस्त, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।

चन्द्र प्रकाश

प्रमुख सचिव।

संख्या- 15 /2015/606/62-1-2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- [redacted]र, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

4- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराकर शासन को अवगत कराया जाय।

5- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

6- संबंधित कोषाधिकारी।

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in